सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 चैत्र, 1941 (श०)

संख्या- 321 राँची, मंगलवार, 16 अप्रैल, 2019 (ई०)

## कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

---

संकल्प

11 अप्रैल, 2019

**संख्या-5/आरोप-1-66/2015-1711 (HRMS)**-- श्री गोपी उराँव, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, गृह जिला-लोहरदगा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मांडर, राँची के विरूद्ध आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची के पत्रांक-2553/स्था०, दिनांक-22.09.2015 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र- 'क' में इनके विरूद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं:-

**आरोप सं०-1-** श्री गोपी उराँव, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, माण्डर को दिनांक 23.08.2015 को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज (प्रारंभिक) परीक्षा, 2015 के आयोजन में राँची कोषागार से राँची कॉलेज (सब सेंटर-ए तथा बी) एवं मल्टीपरपस एग्जामिनेशन हॉल, मोरहाबादी, राँची में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में प्रश्न पत्र पहुँचाने के जिम्मेदारी समन्वयी पर्यवेक्षक के रूप में दी गयी थी। मल्टीपरपस एग्जामिनेशन हॉल, मोरहाबादी, राँची के लिए उन्हें दो दोसुती बैग में रखे पाँच शिल्ड बॉक्स उपलब्ध कराये गये थे, जिसमें 500 प्रश्न पत्र थे, परन्तु उनके द्वारा केन्द्राधीक्षक को एक दोसुती बैग ही उपलब्ध कराया गया, जिसमें 300 प्रश्न पत्र थे। केन्द्राधीक्षक द्वारा दूरभाष पर लगभग 09:00 बजे आयुक्त, द०छो० प्रमंडल, राँची को एक दोसुती बैग उपलब्ध कराने जाने की सूचना दी गयी। आयुक्त द्वारा तत्काल सभी संबंधित पदाधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता करने पर ज्ञात हुआ कि श्री उराँव द्वारा मल्टीपरपस एग्जामिनेशन हॉल, मोरहाबादी, राँची परीक्षा केन्द्र के लिए आवंटित प्रश्न पत्र से संबंधित एक दोसुती बैग राँची कॉलेज मोरहाबादी के परीक्षा केन्द्र में दे दिया गया

था, जिसे आयुक्त द्वारा शीघ्र संबंधित केन्द्र पर पहुँचाया गया। श्री उराँव का उक्त कृत्य अक्षम्य लापरवाही का द्योतक है। वे बराबर कहते रहे कि इस परीक्षा केन्द्र के लिए उन्हें एक ही दोसुती बैग दिया गया है, जबकि उन्होंने दो दोसुती बैग प्राप्त किया था, जिसमें 500 प्रश्नपत्र थे।

**आरोप सं0-2-** आरोप सं0-1 में उल्लिखित बातों के लिए श्री उराँव से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री उराँव ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि उन्होंने मल्टीपरपस एग्जामिनेशन हॉल, मोरहाबादी, राँची के लिए उपलब्ध कराये गये प्रश्न पत्र के सेट निर्धारित समय में पहुँचा दिया था। उनका यह स्पष्टीकरण असंतोषजनक है। यदि उनके द्वारा 500 प्रश्न पत्र उक्त केन्द्र में उपलब्ध कराये गये होते तो केन्द्राधीक्षक द्वारा दूरभाष पर आयुक्त को मात्र 300 प्रश्न पत्र उपलब्ध कराये जाने की सूचना नहीं दी जाती। अतः इन्होंने अपने स्पष्टीकरण में वास्तविक तथ्य को छुपाते हुए गुमराह करने की कोशिश की है।

**आरोप सं०-3-** श्री उराँव को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज (प्रारंभिक) परीक्षा, 2015 के आयोजन में राँची कोषागार से तीन परीक्षा केन्द्रों में प्रश्न पत्र पहुँचाने की अतिमहत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गयी थी। उन्हें मल्टीपरपस एग्जामिनेशन हॉल, मोरहाबादी, राँची के लिए उन्हें दो दोसुती बैग में रखे 500 प्रश्न पत्र उपलब्ध कराये गये थे, परंतु उनके द्वारा इस परीक्षा केन्द्र के लिए उपलब्ध कराये गये एक दोसुती बैग में रखे गये दो सील्ड बॉक्स अन्य दूसरे परीक्षा केन्द्र पर दे दिया गया था। 200 प्रश्न पत्रों का गायब होना अत्यंत आपात स्थिति थी। चूँकि परीक्षा शुरू ही होने वाली थी, जिससे पूरी परीक्षा बाधित हो सकती थी। इसका पूरे देश में आयोजित हो रही सिविल सर्विसेज (प्रारंभिक) परीक्षा, 2015 पर तुरंत प्रभाव पड़ना अवश्यंभावी था एवं परीक्षा के रद्द होने की गंभीर स्थिति पैदा हो जाती। प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाहें होती एवं राज्य की छवि धूमिल होती। इस तरह श्री उराँव द्वारा कर्त्तव्य के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती गयी है, जो इनके गैर जिम्मेदाराना, कर्तव्यहीनता एवं अनुशासनहीनता का परिचायक है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-9263, दिनांक 23.10.2015 द्वारा श्री उराँव से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्री उराँव द्वारा अपने पत्रांक-906, दिनांक 16.11.2015 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री उराँव के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-10213, दिनांक 03.01.2015 द्वारा आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची से मंतव्य की माँग की गई। आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची के पत्रांक-2893/स्था०, दिनांक 21.07.2016 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री उराँव के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-3962, दिनांक 25.03.2017 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री उराँव के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-173, दिनांक 15.06.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में श्री उराँव के विरूद्ध गठित सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

श्री उराँव के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों हेतु इनके विरूद्ध झारखण्ड

सरकारी सेवक नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत् संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि रोक दण्ड प्रस्तावित किया गया।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-8489, दिनांक 22.11.2018 द्वारा श्री उराँव से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई। श्री उराँव के पत्रांक-31, दिनांक 21.01.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया।

श्री उराँव द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि इनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में वही तथ्य दोहराये गये हैं, जो इनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखा गया था।

अतः समीक्षोपरांत श्री गोपी उराँव, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मांडर, राँची द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

| **Sr No.** | **Employee Name**<br>**G.P.F. No.** | **Decision of the Competent authority** |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | GOPI ORAON<br>20080400131 | श्री गोपी उराँव, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, गृह जिला-लोहरदगा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मांडर, राँची के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है। |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अशोक कुमार खेतान,**
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

---

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 321 -- 50